—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 23/2022

उनवान

1. देव सिंह
2. नरेन्द्र सिंह
3. हनुमान सिंहपि. नारायण सिंह
4. मगन कंवर पत्नी नारायण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
2. मैनेजर, यूनियन बैंक आफॅ इंडिया, शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
3 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 30.4.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला में स्थित निम्न आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज नरभू सिंह की खातेदारी/काश्तकारी की है।

वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
124	0.17	156	0.17
298	0.45	271	0.45
23	0.06	31	0.06
3282	0.22	3346	0.22
3290	0.32	3356	0.32
3292	0.13	3358	0.13

उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार नरभू सिंह पुत्र दौलत सिंह चले आ रहे है तथा नरभू सिंह की मुत्यु हो गयी है जिसके वारिस नारायण सिंह की भी मृत्यु हो गयी है के वारिसान प्रार्थीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा ही दर्ज किया गया तथा 1/2 हिस्सा त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर र[illegible] कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने इस प्रकरण में जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश [illegible] निवेदन किया कि हाल [illegible]रा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:39 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

155, 271 व 31 की आराजी लक्ष्मण सिंह, नारायण सिंह पि. नरभू सिंह की बापौती खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 3282, 3290 व 3292 अप्रार्थी संख्या 1 व नारायण सिंह की कयशुदा आराजी है। विकय पत्र अनुसार उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 नरभू सिंह का जायन्दा पुत्र है। नरभू सिंह के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी दाख कंवर अप्रार्थी संख्या 1 की माता के द्वारा जवाबकर्ता को देवी सिंह पुत्र सूर सिंह को गोद दिया था। अतः अप्रार्थी संख्या 1 बापौती भूमि पर 1/2 हिस्सा का अधिकारी है। नरभू सिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण जवाबकर्ता के नाम भी दर्ज हुआ है। शेष आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरियें विक्रय पत्र दर्ज हुयी है। जवाबकर्ता का आराजी मुतनाजा पर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त भी है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौरोने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या डीएनजे 2010 पेज 210 से 218, आरबीजे 2019 पेज 373 से 376, आरआरटी 2013 पेज 133 से 136, डीएनजे 1998 पेज 218 से 221, आरआरटी 2016–17 पेज 637 से 640 व आरआरटी 2013 पेज 123–124 पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 155, 271, 31, 3346, 3356 व 3358 पर अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार हाल खसरा नम्बर 3346, 3356 व 3358 उसकी कयशुदा आराजी है। खसरा नम्बर 155, 271 व 31 की आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम जरियें विरासत दर्ज हुआ है। आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में नरभू सिंह के नाम थी। नरभू सिंह के दो पुत्र नारायण सिंह व लक्ष्मण सिंह हुये है। नरभू सिंह की मृत्यु के बाद उसकी विरासत लक्ष्मण सिंह व नारायण सिंह के नाम दर्ज हुयी है। अपने जायन्दा पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 देवी सिंह के गोद गया है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। किन्तु उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरियें विक्रय पत्र व विरासत के दर्ज हुयी है। अप्रार्थी के गोद जाने के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा पायी जाती है। हाल इन्द्राज प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा जरियें विरासत व विकय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी है। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। विषम परिस्थितियों के बिना उसे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये उचित युक्ति युक्त [illegible] का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय हानि की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:39 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम नान्दला की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:39 IST
Reason: SelfAttested